The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4, the First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is an Amendment (No.1) by Shri D.V. Sadananda Gowda.

Clause 1 – Short Title

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I move:

(1) That at page 1, line 2, *for* the words and figure "the Repealing and Amending Act, 2015", the words, brackets and figure "the Repealing and Amending (Second) Act, 2015" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

ANNOUNCEMENT RE. PANEL OF VICE-CHAIRMEN

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that Shri T.K. Rangarajan has been nominated on the Panel of Vice-Chairmen with effect from 5th of May, 2015. Congratulations, Mr. Rangarajan.

DISCUSSION ON WORKING OF MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

SHRI DEREK O BRIEN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, on behalf of all of us together, who had agreed to take up these four or five Ministries, I stand to initiate this discussion on the working of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Sir, broadly to set the terms for this discussion in this Ministry,

[Shri Derek O Brien]

Disabled, OBCs, Transgenders, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Senior Citizens, these are broad groups which are covered. But I would take the liberty of requesting the Minister, I think, a lot of us who will speak would believe that to have true social justice and empowerment, along with these five or six groups which are very important, to include two other groups like minorities and women of this great nation. If that is the scope of the discussion, through you, I would like to request the Minister to note the specific suggestions that we give on the first five, and to be kind enough to carry our thoughts to the other two colleagues of yours, or, better still to bring two colleagues of yours here tomorrow, if possible, for the second part of the discussion which we will conclude tomorrow.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) *in the Chair*]

Sir, the Budget for this Ministry is ₹ 6,500 crores. If you leave the minority out, if you leave the women of this country out and only take the five categories, as has been defined in this Ministry, ₹ 6,500 crores cover about 90 crore people. It comes to a measly miniscule sum of 50 paisa per person per month. So, this is the first issue we need to ponder over. Is this 50 paisa per person per month enough, or, should we be, at least, taking it up to ₹ 1 per person per month? So, what I am suggesting is to double the budget from ₹ 6,500 crores to ₹ 13,000 crores.

At the start of the discussion, Sir, I also thought that when we talk about social justice, what are the terms of this distribution? The terms of the distribution would be used in three words -- 'm' money, 'o' opportunities and 'p' for privileges. So, what all we suggest is this needs to be fit into three categories to make this a meaningful discussion. Does this Ministry's social justice end with providing scholarships and building hostels? Can we take it beyond that? Through this discussion over the next three hours, we get the Minister who has been here for the last nine months. So, he is comparatively new to open his heart, to open his eyes and most importantly to open his mind. So, I do not want to give any political statement. I will be making some points on each of these categories as we started off.

Let us start with specific राम गोपाल जी, आप अभी मत जाइए, क्योंकि यह यूपी का ही है, इसलिए एक मिनट सुन कर जाइए। Because I will starting with U.P. Manual Scavengers are also covered under this Ministry. क्योंकि हमारे देश में 11 हजार manual scavengers हैं। These are not my figures. These figures may be wrong. These are Government's figures. Out of 11,000 manual scavengers..

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश)**:** अगर आप यूपी के लिए बोल रहे हैं, तो आप हिन्दी में बोलिए।

श्री देरेक ओब्राईन: मैं try करूंगा, मैं हिन्दी में फेल करता हूँ, बांग्ला में पास करते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)**:** आप बहुत अच्छा बोलते हैं।

श्री देरेक ओब्राईन: पूरे देश में 11 हजार manual scavengers हैं, जिनमें से 10 हजार manual scavengers केवल यूपी में हैं। मंत्री जी, 480 करोड़ रुपए का बजट था, to liberate manual scavengers, to rehabilitate them and to take them away from this terrible job which they have. Mantriji, you must look into this very seriously. The Budget for the nation was ₹ 480 crores, assume that 80-90 per cent go to the U.P. which is ₹ 400 crores, out of ₹ 480 crores you have spent, not ₹ 48 crores, not ₹ 24 crores, not even rupees one crore. It is zero. So, if you want to seriously eliminate manual scavenging, please look at using this money which is there for this purpose.

Sir, on this subject, the Standing Committee too has made a very strong suggestion. We need to have an effective mechanism to reduce or eliminate manual scavenging. Sir, I started with UP with a complaint, but let me also present an example which happened only last week, and I am extremely proud of it, because this happened under the leadership of Ms. Mamata Banerjee in the West Bengal Government. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): The Tamil Nadu Government has already passed it. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): The Tamil Nadu Government has already passed an order. ...(*Interruptions*)... You must always say 'subject to correction'. You should not assert…...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please. ...(*Interruptions*)... No *Interruptions*, please. ...(*Interruptions*)... Kindly do not disturb him. He is talking about his State. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O BRIEN: Sir, my dear friends in the AIADMK have now become astrologers! I have not yet made my point but they have already said that Tamil Nadu has done this. Listen to my point. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): He is speaking about his State. That is all. Kindly do not interrupt.

SHRI DEREK O BRIEN: Listen to my point. This is a very serious issue, manual scavenging. Now, this is not about Tamil Nadu or Bengal; this is about the United Nations.

AN HON. MEMBER: What about Maharashtra?...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O BRIEN: Sir, we discussed that in great detail when we were talking about farmers' suicides. So, let us not go there. Okay? ...(*Interruptions*)... Sir, let me just focus on this issue and not be distracted.

Sir, Nadia district of West Bengal has been the number one district in the country – and it is not my ranking, but the United Nations' -- as there are three-and-a-half-lakh toilets in that district. It has become the number one district in the country and just last week the United Nations gave this award. Now, the flip side of that is, when you have something like that, the manual scavenging level goes down, or it becomes zero. Sir, this was short-listed for the UN Public Service Award. Now, since we are on the issue of manual scavenging, and it is not just the money issue -- I am not only suggesting that you should give ₹ 480 crores to UP and everyone else -- but it is also a social issue; rather, I would say, two social issues. I would again go back to Nadia. The school-children there took an oath. Every school child in Nadia took an oath…

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): How much time do you want?

SHRI DEREK O BRIEN: Sir, 25 or 30 minutes, of course. Dr. Natchiappan got 30 minutes when we discussed the Ministry of Law and Justice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): But the time given to his Party was more. For your Party, it is totally…

SHRI DEREK O BRIEN: Sir, I would take 20 minutes. Sir, earlier I was speaking about Net neutrality. This is about people who are the lowest of the low.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Yes. Everyone has to speak. Kindly stick to the time.

SHRI DEREK O BRIEN: Sir, the first issue is that of manual scavenging. So, please look at this because sometimes — we have done some research to find that out -- even after you put those toilets up, those toilets are not used for what they are supposed to be used. People store their rice and wheat and what not. So, my limited point to the Minister is this: You spend ₹ 250 crores on advertising budget for the *Swachch Bharat* campaign. Fine! You want to spend ₹ 250 crores. But if you want to spend ₹ 250 crores on advertising, then, you please spend ₹ 480 crores for manual scavenging.

Sir, let us come to the senior citizens. We only have about six categories to go through. Our country has been very proud. We have had a Green Revolution. We have

had a White Revolution. Sir, the Trinamool Congress proposes a Grey Revolution. What is the basic concept of this Grey Revolution? Sir, currently, for senior citizens, the budget allocated by this Ministry is a miniscule ₹ 50 crores. Under the Indira Gandhi Old-age Pension Scheme, if you are over sixty and you are living below the poverty line, you get ₹ 200 a month; if you are over eighty, you get ₹ 500. Sir, like the Standing Committee suggested, let me re-assert, this figure has to go up. Let me make a point here, Sir. If the figure you are giving out is ₹ 150 or ₹ 200, the cost to administer this scheme is working out to much more than what you are actually giving. So, the suggestion we make is, increase what reaches the consumer so that your cost of administering the scheme comes down. Let me also request the Minister to remove the cobwebs from the paper laying there, which is called, the National Policy on Senior Citizens. That document is of 2011. It does not matter whether the UPA II brought it or somebody else brought it, but we think this document, the National Policy on Senior Citizens, is worth looking at. There are some very good and specific suggestions. Please consider them.

The third group of people is persons with disabilities. This is very small in number, but I think a lot of the speakers also want to speak about disability. I have lots of things to say, but I am going to limit myself to just one point, and, that is, the definition of disability under the current Act does not include autistic children and autistic men and women. Sir, my plea to the Minister is this. The Rights of Persons with Disabilities Bill is pending in Rajya Sabha. My party, the Trinamool Congress, will support you wholeheartedly. Please bring this Bill and make these changes in the definition of disability. It will be a step-forward. There are many other points on disability, but because of limited time I would not go into that.

Now I want to spend two minutes on transgenders. It is a coincidence, Mr. Vice-Chairman, Sir, that you are sitting in the Chair. When you were here, you brought a historic Transgender Rights Bill which had got passed in Rajya Sabha. That is very, very good. We have an Act in West Bengal which was passed two-three months ago. Sir, maybe, you could advise the States to bring up an Act like this. ...(*Interruptions*)... Yes, Tamil Nadu also has. Amma made it. If Amma did not make it, then Shrimati Kanimozhi's party made it. You all fight about that. This is a serious issue. Let us be serious on this. The interesting thing is, this is not a Transgender Welfare Board. We believe Transgender Welfare Board is not the solution. This is a Transgender Development Board. There are also some suggestions. I am not getting into the merits of it, but I really would like to hear the views of the BSP and so many other parties on this. There is a suggestion being made — we are open to listen to this — that the transgenders need to be put into a category. One of the categories being suggested is OBC. I am not opening that debate now. I am just giving you what the thought is. For

[Shri Derek O Brien]

the Scheduled Castes, which is the fifth category, we have a unique scheme. All I am suggesting is, West Bengal has a Kanyashree Scheme, which has got the UN approval under which the Scheduled Caste students get a lot of scholarships. Land vested with the Government was distributed to the landless people. Out of the land distributed, 56 per cent of the *pattas* were actually distributed to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is the scheme which is doing very well. The other thing which I want to flag is the Shikshashree Scheme, which is the same as the Kanyashree Scheme, but the Shikshashree scheme is for the Scheduled Castes.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

My limited and single point is on the OBCs, which I have read in the newspapers this morning. It seems to be fine if the creamy layer criterion is raised from ₹ 6 lakhs and goes up to ₹ 10 lakh plus. This will help, we believe, fill the seats earmarked for OBCs where from ₹ 6 lakhs, you go up to ₹ 10 lakhs. I have many examples again from West Bengal about this, especially in the Left Wing Extremism areas, but I will not dwell on it. Suffice to say that the Jangalmahal area, in 23 different Left Wing-affected blocks there, economic package apart, also had a practical gift, if I may say, of bicycles which empowered the girls and boys, especially. Sir, I have covered the points which are traditionally listed under your Ministry. But I want to expand the discussion and spend one minute each on two other things, which are not covered under your Ministry, that is, the minorities and the women, as I said, with a request to take this forward. Sir, on minorities, the Sachar Committee recommended the setting up of the Equal Opportunities Commission. That was eight or nine years ago. Basically, the point behind the Equal Opportunities Commission was that we could bring women, Dalits, tribals, disabled persons, minorities, etc., together with a view to help everybody. The Equal Opportunities Commission made certain recommendations and there was a draft Bill, to the best of my memory, which was made in 2007-08. Through you, Sir, I would request the Minister to pull the cobwebs out and to take a look at this.

Sir, I will end with the last mention about women because you cannot discuss social justice and empowerment without touching on the women. Here, the point is on the 33 per cent or one-third reservation, and there is a lot of debate on that. Sir, we finished the Municipal Elections in Bengal last week. I don't want to remind them of the result. That will upset them. But, at least, let me tell them that 46 per cent of the Corporators, who were elected, are women. So, if we want empowerment, we can get women elected. Thirty-three per cent is the number which we talked about in the Women's Reservation Bill. The current average of women in the Lok Sabha is a

dismal 11 per cent. I am happy to point out that my party has 36 per cent women M.P.s in the Lok Sabha.

Sir, I have left the Minister with these points for him to ponder over manual scavengers, senior citizens, persons with disabilities, transgenders, Scheduled Castes, women, OBCs and minorities. I would urge upon the hon. Minister that, after listening to all of my colleagues, to take this beyond the discussion and, maybe, after one or two months, to come back to us, if not in the House, at least, through some written form. We are giving you some suggestions. Please take them up in the right seriousness, and I am sure, he will. Thank you, Sir, for your time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Derek O Brien, I did not ask you to stop. So, thank you very much. Now, Shri Madhusudan Mistry.

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात) **:** सर, thank you very much, आपने मुझे Social justice and Empowerment के विषय पर बोलने का मौका दिया।

सर, वैसे तो इस टर्म की definition बहुत बड़ी है और रोज-ब-रोज हम कहीं-न-कहीं हरेक एक्शन के अंदर महसूस करते हैं कि लोगों को जितना social justice and empowerment मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। सर, मैं यहां Directive Principles of State Policy से कोट करना चाहता हूं, जिस के ऊपर यह मिनिस्ट्री रची गई है: "The State shall work towards reducing economic inequality as well as inequalities in status and opportunities not only among individuals but also among groups of people residing in different areas or engaged in different vocations." सर, इन का विज़न क्या है? It is to build an inclusive society wherein members of the target group can lead productive, safe, dignified lives with adequate support for their growth and development. Sir, what are the target groups? Firstly, the Scheduled Castes. देश में इनकी बस्ती 16.6 परसेंट हैं और संख्या 20 करोड़ 14 लाख है। सर, वर्ष 2009-10 के एनएसएसओ के 66 राउंड के मुताबिक 41.7 परसेंट Other Backward Classes Community के लोग हैं, जिसमें मंडल कमीशन की जातियों का समावेश होता है। सीनियर सिटीजंस का mandate 10.36 करोड़ यानी 8.56 परसेंट है और victims of substance abuse व दूसरे लोगों का इस में समावेश होता है। इस के अलावा beggars, transgenders, D and D भी इसी के अंदर शामिल होते हैं। आप कौन-कौन से कानून इंप्लीमेंट करते है, जो आपके हैं – The Protection of Civil Rights Act, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, National Commission for Backward Classes Act and Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act.

सर, इस पूरी मिनिस्ट्री के अंदर समाज का कौन तबका आता है? इसके ऑक्युपेशनवाइज देखेंगे, तो रोज-ब-रोज मजदूरी करने वाले, जिनको काम नहीं मिलता, वे स्किल डेवलपमेंट के काम या खुद मजदूरी का काम करते हैं और हिंदू हायरार्की के मुताबिक यदि देखेंगे, तो शूद्र की कैटेगरी में

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

जो आते हैं, उनका बाइ एंड लार्ज इस कैटेगरी में समावेश होता है। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से इन सबको देखें, तो मिनिस्टर साहब, मेरा तो आपसे इतना ही सवाल है, मैं दूसरी बातों पर बाद में आता हूँ, अभी जो आपका प्रोग्राम है, जिसके तहत आप स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके तहत आप हॉस्टल बनाते हैं, जिसके तहत कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम रहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मुताबिक क्या इससे वह क्वालिटी मिलती है? एक यह सवाल है। आप उनको सभी समाज के साथ बिल्कुल इन्क्ल्यूसिव कर सकें, क्या आपके ऐसे कार्यक्रम हैं? क्या आपके पास इतने फंड्स हैं? क्या आपकी मिनिस्ट्री ने इतना विजन डेवलपमेंट किया है? इसी के साथ ये सवाल आते हैं। आखिर, इसकी क्या स्थिति है? मैं देरेक भाई की दो बातों से सहमत हूँ, माइनोरिटी और उसके अंदर बहनों को भी शामिल किया जाए, लेकिन एक और कैटेगरी शेड्युल्ड ट्राइब्ज की है, उसको भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। जो रोज मजूदरी करने वाले लोग हैं, उनमें या तो वे खेत-मजदूर हैं, या एनआरईजी के अंदर काम करने वाले हैं, या शहरों के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर काम करने वाले हैं। जहां ज्यादा से ज्यादा मिनिमम वेज का कानून इंपलीमेंट नहीं होता, उस कैटेगरी के अंदर वे लोग आते हैं। उनकी औरतें, जो काम करती हैं, उनका भी इसमें समावेश होता है। उस कैटेगरी से, उस समाज से भी लोग यह चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ जाए, जिसे ऊपर जाकर अपवर्ड मोबिलिटी मिले, अच्छी जगह पर उसको काम मिले, अच्छी नौकरी मिले और मेरे घर की आय बढ़े।

सर, इसमें बेसिक सवाल यह है कि इस मिनिस्ट्री के पास जो मेंडेट है, वह तो वेलफेयर का है और वेलफेयर मात्र से सोशल जस्टिस नहीं मिलता है। यह जो सोच है, इसे बदलने की जरूरत है। आपके जितने कानून हैं, अगर आप उनको इंपलीमेंट करा कर उनकी आय बढ़ाएंगे, तो उसे सोशल जस्टिस मिलेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी लड़ने की ताकत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के मजदूर हैं या मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जिनका जिक्र है, जैसे हमारे यहां गुजरात में करीब 185 से भी ज्यादा ऐसी कम्युनिटीज हैं, उनमें से केवल 5-6 कम्युनिटीज जो पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, वे सबसे ज्यादा शेयर ले जाती हैं, बाकी को तो पूछा भी नहीं जाता है। बैकवर्ड क्लास कमीशन की लिस्ट के अंदर जितनी कौम हैं, सभी वेलफेयर एक्टिविटीज सिर्फ उनके लिए चलती हैं, वैसा भी नहीं देखा गया है। जहां वे काम करते हैं, जिस जगह पर वे रहते हैं, अगर वे झोपड़ी में रहते हैं तो क्या उनकी फैसिलिटी को अपग्रेड किया जा सकता है या कराया जा सकता है? इस बारे में तो आपके कार्यक्रम में होगा। वे जहां काम पर जाते हैं, अगर वहां उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, तो आपकी मिनिस्ट्री उसमें इंटरवीन क्यों नहीं करती है? आपका वह मेंडेट क्यों नहीं हो सकता? कुछ स्टेट्स में तो एनआरईजी के पैसे भी पूरे नहीं खर्चे जाते। स्टडीज में बताया गया है कि जहां नेशनल रूरल एंपलायमेंट गारंटी स्कीम के ज्यादा से ज्यादा पैसे बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्युल्ड कास्ट, शेड्युल्ड ट्राइब्ज के पास गए हैं, वहां पर उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, उनका स्टैंडर्ड भी थोड़ा ऊपर आया है। तो जिन स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे जाने के बावजूद भी खर्च नहीं होते, तो वे स्टेट्स तो उन लोगों को उतनी ही गरीबी के अंदर रखेंगी और जितना आप उनको गरीबी में रखेंगे, उतन आपका बजट का पैसा उनके वेलफेयर पर खर्च होगा। मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करता हूँ, जैसे मैं एक मजदूर हूँ। मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, लेकिन आज की जो व्यवस्था है, उसके अंदर उसको अच्छी शिक्षा देकर, उसकी जो जरूरियात हैं, उनको पूरी करके उसे अपवर्ड मोबिलिटी में पहुंचाने के लिए क्या मैं इकॉनोमिकली

सक्षम हूँ? नहीं हूँ, तो इसके बारे में स्टेट क्या कर रही है? उसके लिए मात्र स्कॉलरशिप ही उसका साधन नहीं है। गांवों के अंदर जो स्कूल हैं, मोहल्लों, म्युनिसपल कार्पोरेशन के अंदर जो स्कूल वगैरह चलाए जाते हैं, उनमें किस तरह की एजुकेशन दी जाती है? यह जो इकनोमिक अनइक्वेलिटी की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही गई है, उसको आपकी मिनिस्ट्री किस तरह फुलफिल कर रही है? महोदय, वह तो इसके अंदर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। Privatization इतना होता जा रहा है और आज स्थिति ऐसी होती जा रही है, मैं किसी को blame नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश में यदि किसी को डॉक्टर बनना है, तो आप किसी कॉलेज में admission लेने जाएंगे, तो वहां आपको 50, 60 या 80 लाख रुपए तक पहले देने पड़ते हैं और 5 लाख रुपए फीस देंगे। उस जमाने में, शुरू-शुरू में तो लोग छोटे से सरकारी स्कूलों के माध्यम से इंजीनियर और डॉक्टर बने। आज वह परिस्थिति नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर आपकी मिनिस्ट्री का जो मैंडेट है, वह देश में जो inequality है, उसे घटाने का काम किस तरह कर रहा है, यह education के अंदर बहुत बड़ा सवाल है। क्या स्कूल ऐसे बनाए जाएंगे, क्या शिक्षण की व्यवस्था ऐसी की जाएगी और क्या आपकी मिनिस्ट्री ऐसी मॉनिटरिंग करेगी, जिससे यह सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके?

महोदय, यहां सिविल राइट्स के बारे में लिखा गया है कि आपका डिपार्टमेंट सिविल राइट्स को मॉनिटर करता है। आपका डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ट ट्राइब्स के ऊपर होने वाली एट्रोसिटीज को मॉनिटर करता है। सबसे ज्यादा एट्रॉसिटीज सरकारी कर्मचारियों विशेष रूप से फॉरेस्ट्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट आदि की ओर से की जाती है। इस बारे में मिनिस्ट्री ने क्या किया, क्या exceptions लिए गए और आपकी मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट को इसके अंदर किस तरह sensitive बनाना चाहती है?

महोदय, आज तो सिचुएशन यह हो गई है, जैसे यह एक obligation हो गई है और उसे हमें पूरा करना है। इसलिए किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी पुलिस वाले को वहां पर भेज दिया कि आप इंस्पैक्टर हैं, आप यह काम कीजिए। आप यह केस दाखिल कीजिए। इसके कारण कोर्ट की भी कोई सिम्पैथी नहीं मिलती है। हमारे यहां The Tribes and Forests dwellers Act पास किया गया है। उस एक्ट के अंदर ऐसा है कि आदिवासी और जंगल के अंदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के जो लोग रहते हैं, वे भी अगर 2005 तक जमीन जोतते रहे हैं, तो उन्हें भी वह जमीन मुफ्त में मिलनी चाहिए, लेकिन by and large पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर आदिवासियों के लिए तो यह हक दिया गया है और उसका implementation हुआ, परन्तु बैकवर्ड कम्युनिटीज के जो लोग हैं, उन्हें यह हक अभी तक नहीं मिला है।

जो लोग स्किल्ड हैं, जिनके हाथ में स्किल है, वे जो मजदूरी करते हैं, उसमें तो ऐसा है, जितने दिन मालिक आपको पैसा देगा, उतने दिन आप करोगे या कोई एम्प्लाई काम करेगा। इस देश के अंदर हर राज्य के अंदर बेलदारों के कोने लगते हैं। वे लोग रोजाना सुबह घर से टिफिन लेकर जाते हैं। इसमें मेरी कौम भी शामिल है। बैकवर्ड कम्युनिटी के सैकड़ों मजदूर रास्ते के किनारे बैठते हैं। अगर आपको कोई सुतार, लुहार, बेलदार, कड़िया चाहिए,तो आप उसे वहां से ले जा सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। उसे आप काम के बदले पैसा देते हैं और काम यदि नहीं मिलता है, तो वह टिफिन लेकर घर आता है और घर आकर अपना टिफिन खाता है। उसकी कोई Social Security नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछता हूं कि आप इस बारे में कानून क्यों नहीं बनाते?

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

महोदय, जो migrant labor है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वह भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग होते हैं। उनके लिए बोर्ड बनाया गया है। मेरी स्टेट गुजरात में इस बोर्ड में 500 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वे पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं। इसलिए मेरा सवाल है कि इतनी सारी कौम, जिनमें से कई जगह पर तो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थिति ऐसी है कि वे हायरार्की के अंदर अनटचेबल गिने जाते हैं। यह परिस्थिति यहां नहीं है, लेकिन यदि आप देखेंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति कहीं और भी बदतर दिखाई देगी।

महोदय, जैसा श्री देरेक ओब्राईन ने कहा, यदि आप 6 हजार करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो इस कम्युनिटी का आप क्या वैलफेयर कर रहे हैं? सैकड़ों कम्युनिटीज ऐसी हैं, जिन्हें आज दिन तक सरकार की कोई राहत नहीं मिली और न ही उनका कोई वैलफेयर हुआ। सवाल यह है कि आपकी जो यह वैलफेयर एप्रोच है, क्या यह वाकई हमारे संविधान के अंदर जो डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स बताए गए हैं, उन्हें फुलफिल करेगी, यदि हां, तो आने वाले कितने सालों के अंदर करेगी? आपका यह स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, न ही आपका यह मैंडेट चलेगा और न ही आपके ये प्रोग्राम चलेंगे। अगर आपको मैंडेट करना है, तो आपको अपने प्रोग्राम्स को जड़-मूल से, यानी नीचे से बदलना होगा और आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिविल राइट्स में सबसे ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट्स और बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग शिकार बनते हैं। जो कस्टडी में मारे जाते हैं, पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग? हमारे डिपार्टमेंट की ओर से क्या मॉनिटरिंग की जाती है? अनटचेबिलिटी आज भी है। मंदिरों के अंदर आज भी उनको नहीं जाने दिया जाता। कितने केस दर्ज किए हमने? डिपार्टमेंट ने कौन सी मूवमेंट चलाई? लोगों को कैसे जागरूक किया? मैं घर में हो रही अनटचेबिलिटी की बात नहीं करता हूं, मैं सार्वजनिक जगहों में हो रही अनटचेबिलिटी की बात कर रहा हूं। आज भी स्कैवेंजिंग का जो मुद्दा है, वह है, भले ही उससे कोई deny करे, मगर वह हकीकत है और उस हकीकत को हम deny नहीं कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री और मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपका यह ढांचा, जो रिपोर्ट हर साल ...(**समय की घंटी**)... साल-दर-साल यह रिपोर्ट आती है, तो इसके अंदर प्री-मेट्रिक स्कूल की स्कॉलरशिप, फर्स्ट ईयर, दो-चार केस किए होंगे, उसके अलावा, किसी को कितना deny किया गया होगा, इसके अलावा है, तो आप प्राइम मिनिस्टर से कहिए। प्राइम मिनिस्टर भी हमारी कौम के हैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती है। ...(**व्यवधान**)... वही तो बोल रहा हूं, मेरी कौम के हैं, हमारी कौम के हैं, ऐसा मैं बता रहा हूं। ओबीसी के अंदर हैं, मैं बता रहा हूं। उनसे कहिए कि आप मेरी मिनिस्ट्री ...(**व्यवधान**)...

कुछ माननीय सदस्य : नहीं हैं, नहीं हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : एक तो आप मिनिस्ट्री का मैनडेट चेंज कराइए और सिविल राइट्स के कानूनों के इंप्लिमेंटेशन का जो आपका काम है, उसको और मजबूत बनाइए। शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज एट्रोसिटीज़ ऐक्ट जो है, उसका इंप्लिमेंटेशन और सही ढंग से कराइए। उससे और बढ़कर काम कीजिए। जितनी कौमें ओबीसी के अंदर आती हैं, छोटी-छोटी जातियों की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। Unorganised Labour Welfare Act है, तो वह सिर्फ कलेक्टर के

यहां या डिस्ट्रिक्ट के कोने में पड़ा हुआ है। उसका कोई इंप्लिमेंटेशन नहीं हुआ। सब बैकवर्ड कम्युनिटी में होता है। सब शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ ... एनआरईजी का कानून बंद हो गया, नहीं मानते हैं, तो मैं फिर से बताता हूं कि जब तक आपके कार्यक्रम उनकी आय बढ़ाने पर concentrate नहीं करेंगे, तब तक बैकवर्ड क्लास की स्थिति नहीं सुधरेगी। पोलिटिकली शायद हम ...(**समय की घंटी**)... होते जाएंगे क्योंकि हमारे 42-45 परसेंट हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Mr. Mistry, please conclude. What can I do when there are five more speakers from your party?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, दो मिनट...दो मिनट। तो उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। खेती के अंदर जो पानी जाता है, उनकी ज़मीनों पर सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंचता है और आज भी वे खेती भी करते हैं और ज़मीन पर मज़दूरी भी करते हैं, वे खेत मज़दूर हैं, लेकिन उनका कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है। ...(**समय की घंटी**)... इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसका पूरा ढांचा बदलिए...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The other Members from your party will not get time, Mr. Mistry, if you continue like this. Please sit down.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : ताकि इस देश की बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट्स और इनकी स्थिति सुधरे, बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : उपसभापति महोदय, इस देश के सभी मंत्रालयों में यह जो समाज कल्याण सशक्तिकरण का मंत्रालय है, इसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। यह लगभग भारत के अधिसंख्यक समाज के पुनर्जागरण, सशक्तिकरण या कहें कि पिछली अनेक शताब्दियों से जो भारत की चेतना के ऊपर आघात हुआ, उसके प्रायश्चित और उसके पुनः सशक्तिकरण का एक ऐसा सबल मंत्रालय है, जिसकी ओर सब आशा भरी निगाहों से देखते हैं।

महोदय, इसमें जो विभाग हैं - शेड्यूल्ड कास्ट्स का है, अदर बैकवर्ड कास्ट्स का है, सोशल डिफेंस का है, जिसमें drug abuse and alcoholism आता है, इसके साथ ही इसमें transgenders का विषय आता है। तो मैं प्रारंभ में ही मंत्री महोदय से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने अपने विभाग का जो परिचय दिया है... सबसे पहले तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि वे एक बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी, समर्पित और डा. अम्बेडकर की परंपरा के वाहक हैं और इस मंत्रालय को अच्छी दिशा देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन सर, शुरू में ही मेरी एक गुज़ारिश है, इससे पहले कि मैं विषय पर आऊं, आपने अपने मंत्रालय के परिचय में पांच चीज़ें लिखी हैं - Scheduled Castes, Other Backward Castes, Senior Citizens, Victims of Substances of Alcohol and Drug Abuse and Transgender Persons and Beggars. कृपा ट्रांसजेंडर्स को बैगर्स की केटेगरीज़ के साथ क्लब करने के बजाय उन्हें एक सेपरेट केटेगरी में रखिए क्योंकि जब आप उनको और बैगर्स को एक साथ लिखते हैं तो लगता है कि आप दोनों में एक समानता देख रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, अनेक विषय, अनेक आंकड़े दिए गए, लेकिन यह जो मंत्रालय है, वह जिनसे डील करता है, वह उन तमाम आंकड़ों से परे हृदय से, मानवता से संबंधित है। हमारे देश में 30 प्रतिशत से अधिक शेड्यूल्ड

[श्री तरुण विजय]

कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ हैं। आज जब मैं इसे देख रहा था तो पूरे देश में हर जगह जो दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके विषय में हम क्या कहना चाहेंगे और किसलिए – कहीं पानी पी लिया तो मार डाला, कहीं पानी का पाइप लगाया तो मार डाला, कहीं इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो ऑनर किलिंग कर दी, कहीं एट्रोसिटीज़ एक्ट हुआ तो उस पर काम नहीं हुआ। सर, 2008 में एट्रोसिटीज़ के 33,615 मामले थे जो हर साल बढ़ते-बढ़ते 33,655 और 2013 में 46,000 तक पहुंच गए। जब हम कहते हैं कि total number of complaints pending with the National Commission for Scheduled Castes, तो सारी कम्पलेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं। 31.10.2014 तक 12,566 शिकायतें केवल शेड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन के पास पेंडिंग रखी हुई थीं तो कहां से निर्धारण हो रहा है?

[**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी.सिंह बदनौर)** पीठासीन हुए]

जिन्हें हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, क्या उन्हें हम मनुष्य मानते हैं? क्या उनके प्रति हम वही भावना दिखाते हैं जो हम अपने तथाकथित पूजा-पाठ, देवी-देवताओं के प्रति रखते हैं? हम लोग कहते हैं कि इनके प्रति हमारे धर्म में, हमारे धर्म-शास्त्रों में कहीं कुछ भेदभाव की बात नहीं लिखी गयी है। क्या आप उनके सामने मनुस्मृति, वेद-उपनिषद् ले जाकर कहेंगे कि हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है? सर, जमीन पर हकीकत क्या है? मैं अभी दक्षिण के एक प्रदेश में था। वहां पर बताया गया कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए एक अलग श्मशान घाट है और तथाकथित सवर्ण जाति या जिन्हें ऊंची जाति कहा जाता है, उनके लिए आज की तारीख में भी अलग श्मसशान घाट होता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कृपया इसका भी सर्वेक्षण कराएं और यह प्रतिबंधित करवाएं कि मीडिया में तथा किसी भी अन्य स्थान पर किसी जाति को बड़ी जाति का लिखना और किसी जाति को छोटी जाति का लिखना प्रतिबंधित किया जाए। जो लोग अपने आपको बड़ी जाति का कहते हैं, वे इस बात का जवाब दें कि उन्हें किस शास्त्र ने यह अहंकार रखने का अधिकार दिया कि वे स्वयं को कहें कि वे बड़ी जाति के हैं? मैं कहता हूं कि असली बड़ी जाति वह है जो समाज के तमाम अत्याचार सहने के बाद भी अपने धर्म, अपने आचार पर टिकी रही और असली छोटी जाति वह है जो अपने आपको बड़ी जाति होने का अहंकार रखती है। उसको छोटी जाति कहना चाहिए, उन्हें नहीं जो समाज की तमाम बुराइयों को सहन करते हुए भी अपनी लीक पर टिके रहते हैं। आज तक इन्होंने केवल अत्याचार सहे हैं। ये तमाम मीडिया के लोग कहते हैं और राजनेताओं से पूछते हैं, पार्टियों से पूछते हैं कि आपके यहां कितना आरक्षण है। महोदय, यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि सब जगह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग केवल कॉस्मेटिक सजावट के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप पूरी मीडिया में देख लीजिए। पूरी मीडिया में कितने शेड्यूल्ड कास्ट एडिटर हैं, कितने शेड्यूल्ड कास्ट एंकर हैं, कितने शेड्यूल्ड कास्ट न्यूज़ एडिटर हैं, कितने कॉरस्पांडेंट हैं, कितने चैनलों के मालिक हैं? आपको वहां पर कोई प्रतिशत नहीं मिलेगा। जिन्हें हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कहते हैं, वे मीडिया से लगभग अनुपस्थित हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे एक विशेष योजना बनाएं जिसके अंतर्गत मीडिया में, लेखन में, पत्रकारिता में – क्योंकि ये अभिव्यक्ति के बहुत बड़े चैनल हैं – इन लोगों को अच्छे पदों पर लाने के लिए मंत्रालय की ओर से एक विशेष प्रोत्साहन स्कीम प्रारम्भ की जानी चाहिए। महोदय, मैं इसमें जनजातियों का भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि उनकी स्थिति शेड्यूल्ड कास्ट से थोड़ी सी भिन्न होगी, लेकिन समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के आधार पर जो भेदभाव है, उसके वे भी शिकार होते हैं। आपको यह

जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में 8 प्रतिशत जनजातियां हैं, लेकिन जो 98 प्रतिशत आतंकवाद, 98 प्रतिशत विद्रोही गतिविधियां, 98 प्रतिशत हिंसक वारदातें हैं, उनमें से केवल आठ प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों में होती हैं। ये क्यों होती हैं क्योंकि उन्हें वलनरेबल सेक्शन माना गया और उनको एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लिया जाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो drug abuse और शैड्यूल्ड कास्ट की बात होती है। आपने तमाम स्कालरशिप्स की बात कही है, लेकिन स्कालरशिप के बाद यह नतीजा निकलता है कि जहां कहीं भी अनुसूचित जातियों की सघन जनसंख्या है, वहां पर मुख्य धारा का कोई विकास नहीं देखा जाता है। हम अपने आप से पूछ लें, हमारे जींस में, हमारे रक्त में, हमारे मानस में एक प्रकार का भेदभाव घुसा हुआ है। हम लोग पिक्चर के टिकट के लिए जाते हैं, कोई हमको लाइन में न लगने दे और आगे से कोई चला जाए, तो कितना गुस्सा आता है। इस समाज ने सदियों लाइन से हटकर तथाकथित उन जातियों को, जो अपने को बड़ी जात कहने का अहंकार रखते हैं, उनका यह अत्याचार सहने के बावजूद अपने आपको बचाकर रखा। अगर डा. अम्बेडकर नहीं होते, अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक नहीं होते, तो बहुत बड़ी संख्या में, समाज में जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, उससे लड़ना कठिन हो जाता। डा. हेगड़ेवार ने जब संघ की स्थापना की थी, तब यह समरसता के आधार पर की थी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें अमान्य होना चाहिए। यही कारण रहा, भले ही हम देव स्थानों पर जाएं, लेकिन उस संस्था में पला एक व्यक्ति यहां पर एक प्राइवेट मेम्बर बिल लेकर आया है, जो आने वाली 8 तारीख में शैड्यूल्ड है कि बाल्मीकि समाज से, यह सफाई का काम प्रतिबंधित करके अन्य समाजों को देना चाहिए। जब तक इसकी एक अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वे मंदिर में पुजारी बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करके, चाहे मंदिर में पुजारी बनना चाहें या पायलेट बनना चाहें, इसका उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। हिन्दू समाज के बड़े-बड़े साधु-संत, बैरागी, जो जाति के विरूद्ध बात करते हैं, उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि क्यों नहीं समाज के नेतृत्व में, धर्म के नेतृत्व में, वे लोग जिनको हम शैड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जाति का कहते हैं, क्या हम उनको बराबरी का हक देते हैं? क्यों उनका अंतिम संस्कार गंगा के किनारे पर अलग किया जाता है? क्यों आज भी उनके पुजारी अलग रखे जाते हैं, क्यों आज भी उनके आश्रम अलग रखे जाते हैं? इस बात का जवाब मिलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): I associate myself with this issue.

श्री तरुण विजय: वे कहते हैं कि कण-कण में राम हैं, पूरे जगत में राम हैं। वे पत्थर पर दूध चढ़ाते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, चींटी को आटा खिलाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति तथाकथित छोटी जात का उनके घर पर आता है, तो उसको ड्योढ़ी के बाहर कर देते हैं, यह किस प्रकार की समरसता है? माननीय मंत्री जी, यह काम सरकार के अनुदानों और सरकार की स्कीमों से नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों को अपना मन बदलना होगा और कठोरता से मन बदलना होगा। आज की तारीख में चाहे वे कहीं पर चले जाएं, उनको समानता का अधिकार नहीं मिलता है। डा. अम्बेडकर, शिवाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय में छह महीने अधीक्षक के रूप में रहे। बाद में पता चला कि ये तो महार हैं, इसलिए उनको छह महीने के बाद बरसात के समय तुरंत बाहर कर दिया गया। डा. अम्बेडकर घुटनों में मुंह छिपाकर रोये थे कि मेरा अपराध यह है कि मैं हिन्दू हूं। ऐसा इस समाज ने किया है।

[श्री तरुण विजय]

5.00 P.M.

इसके विरुद्ध एक सामूहिक संघर्ष की आवश्यकता है। अगर वह संघर्ष अब नहीं होगा, तो कब होगा? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि कानूनन बाल्मीकि समाज को सफाई के कार्य से हटाकर उनको अन्य वैकल्पिक कार्यों में लगाना चाहिए और जिसको अपनी गंदगी दूर करनी है, वह अपनी व्यवस्था खुद करे। जाति के आधार पर तुम यही काम करोगे, यह काम अब नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे अधिक प्रसन्न भाव से तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर को कोट करता हूं। मानव की एकता, समानता, जाति से ऊपर उठते हुए, सबके प्रति समरसता का भाव दिखाना, यह हमें तिरुवल्लुवर ने सिखाया है। इसलिए माननीय मंत्री जी, आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, जो autonomous body है, मैं आपसे यह मांग करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस को आप तिरुवल्लुवर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के नाम पर रखें, क्योंकि दक्षिण का कोई नाम हमारी केन्द्रीय स्कीमों में नहीं आता है।

वह नाम भी इसमें आना चाहिए। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो प्रोत्साहन हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के अवसर हैं, वे मुख्यतः इस प्रकार से निर्धारित किए जाने चाहिए कि शैड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में business में, trade में, industry में enterprising के क्षेत्र में आगे दिखना चाहिए। आज वह आगे क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलता है। आज वह आगे क्यों नही दिखता है, क्योंकि वह हमेशा slaves की तरह, हमेशा slum dwellers, हमेशा गंदी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति की तरह से, हमेशा एक protected species की तरह रहता है। मंत्री महोदय, उनको आपका protection नहीं चाहिए, उनको decision making power चाहिए। उनको आपका संरक्षण नहीं चाहिए, उनको आपके कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ने का अवसर चाहिए, इसलिए आप वह अवसर दें। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, Social Justice and Empowerment Ministry का मुख्य हेतु होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोत्साहन देने के लिए क्या योजनाएं हैं? मैंने मीडिया की बात की है और फिल्म्स के क्षेत्र में क्या योजना है? पुणे में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, आपने उसमें कितने शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को एडमिशन देकर, आगे बढ़ाया है? आज हमें कितने फिल्ममेकर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के मिलते हैं? क्या उन लोगों के लिए जिंदगी भर एक ही काम रहेगा कि वे स्कॉलरशिप लेते रहें, रिजर्वेशन लेते रहें और अपने-अपने क्षेत्र में ही रहें? नहीं, उनको समाज की मुख्य धारा में नेतृत्व संभालने योग्य बनाना, इस Social Justice and Empowerment Ministry का मुख्य हेतु होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन : फिल्मों में रिजर्वेशन से टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जा सकता।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : जब आपका बोलने का मौका आए, तब यह बात जरूर बताना।

SHRI TARUN VIJAY : I am not advocating reservation. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं अगर अम्बेडकर जी ने यहां reservation नहीं किया होता, तो जितने प्रतिशत आज हमें

ये शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स दिख रहे हैं, वे भी आप जैसे लोगों के कारण से हैं कि reservation नहीं चाहिए। Reservation चाहिए होता है। आप मुझे जवाब दीजिए कि आप अपने आपको जितना समाज के सरोकार से जोड़े होते हैं, कितने मुम्बई के लोगों ने शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ...(**व्यवधान**)...फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ाया?

श्रीमती जया बच्चन : सर, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : आप बीच में बात मत करिए।

श्री तरुण विजय : अपनी मर्जी से कोई नहीं बढ़ाता। आप हिन्दुस्तान में कोई एक विद्यालय मुझे बता दीजिए।...(**व्यवधान**)... I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : मैडम, जब आपका नम्बर आए तब बोलना। मैडम प्लीज़, प्लीज़। वे अपनी बात रख रहे हैं। यह आपकी बात नहीं है। आप बाद में बात करिए। Please do not disturb. ...(*Interruptions*)... Please do not disturb. ...(*Interruptions*)...

श्री तरुण विजय : देखिए, जब मैं शैड्यूल्ड कास्ट्स की बात करता हूं, तो ये हमको डिस्टर्ब करती हैं।...(**व्यवधान**)... ये सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। You do not even tolerate... (*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : मैडम, प्लीज़। आप डिस्टर्ब मत करिए।

श्री तरुण विजय : पूरे देश में कितने schools of excellence करोड़पतियों ने शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए खोले हैं। ...(**व्यवधान**)...जितने करोड़पतियों के स्कूल हैं, वे केवल अमीर लोगों के लिए हैं। कोई एक प्राइवेट विद्यालय बताइए, जिसमें इंस्टीट्यूट खोले हों। ...(**व्यवधान**)... सब अपने-अपने लोगों के लिए खोलते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जो समाज के श्रेष्ठतम schools of excellence and schools of brilliance and universities of excellence should properly be categorized and be given for the development of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र पूरे सदन और पूरे देश की एकमत राय चाहता है। यह इस प्रकार की राजनीति से परे होना चाहिए। मानव को मानव न समझना, मनुष्य को मनुष्य से कम समझना, यह भारतवर्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। ...(**समय की घंटी**)... इसके ऊपर Social Justice and Empowerment Ministry की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक यह दूर नहीं होता, तब तक भारत का अभ्युदय संभव नहीं है, तब तक भारत का गौरव संभव नहीं है और भारतीयता में अभिमान संभव नहीं है। जय भीम।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : मैडम जया जी, अब आपका नाम है। आप बोलिए। यदि आप नहीं बोलना चाहें, तो बता दें। श्रीमती तज़ीन फातमा। ....(**व्यवधान**)...जब आपका नम्बर आएगा तब आप बोलना।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (झारखंड): महोदय, अभी तरुण विजय जी जो बोल रहे थे, यदि उसमें सच्चाई है, तो ये ईमानदारी से चाहते हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): प्रेम चन्द जी, ऐसे intervention नहीं चलेगा। आपका यहां नाम है और जब आपका नम्बर आएगा तब बोलना। आप intervention मत करिए। प्लीज़ प्लीज़। ...(**व्यवधान**)....तज़ीन फातमा जी, आप बोलिए।

डा. तजीन फातमा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के इस महान सदन में, आज पहली बार बोलने के अवसर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करने के साथ ही साथ अपने माननीय नेता, मुलायम सिंह यादव जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे इस सदन में उन कमजोर और लाचार लोगों की आवाज बनाकर भेजा है, जो इतनी लंबी आज़ादी के बाद आज भी मानव अधिकारों से वंचित हैं और दर-दर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब से यह समाज अस्तित्व में आया है, तब ही से सामाजिक न्याय की आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

डा. राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि समाजवादी नेताओं ने जीवन भर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया और वर्तमान में हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी भी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस सदन में एक ऐसे राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आई हूं, जिसका मूल मंत्र ही सामाजिक न्याय है। इस सर जमीं पर जब तक अमीर-गरीब का फर्क, छोटे-बड़े का फर्क, मर्द और औरत का फर्क कायम रखा जाएगा, तब तक सामाजिक न्याय की जद्दोजहद और जरूरत महसूस की जाती रहेगी। सामाजिक न्याय वास्तविक राजनीति में सामाजिक संघर्ष का एक नारा बनकर उभरा है और यह संघर्ष लोगों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ संघर्ष है। डा. राम मनोहर लोहिया ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को एकजुट होकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए।

इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए बाइज्जत जिंदगी की मांग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है और इन संघर्षों के कारण ही इन समाजों में बुनियादी बदलाव भी हुए हैं। 67 साल की आज़ादी के बाद भी भारत अनेकों प्रकार की असमानताओं से जूझ रहा है। मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुजरा है, इसलिए मैं सबसे पहले शैक्षणिक असमानता से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। बच्चा जब क्लास - 1 में प्रवेश लेता है, तभी उस बच्चे को यह अहसास हो जाता है कि मैं अमीर हूं या गरीब हूं। उसकी वजह है कि एक तरफ तो वे प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें एक महीने की फीस में लाखों रुपये खर्च होते हैं और दूसरी तरफ वे पाठशालाएँ हैं, जिनकी छतें टपकती हुई हैं और वह बच्चा सूखे दरख्तों के नीचे अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है। एक तरफ तो सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अवसर प्रदान करती है, दूसरी तरफ केवल राजनीतिक द्वेष के कारण ही अत्यंत सुविधाहीन और मजदूर बच्चों के लिए चलाये जा रहे बाल श्रम विद्यालयों को बंद करने की कार्यवाही की जा रही है। क्या यही सामाजिक न्याय है?

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि शिक्षा पर खर्च होने वाले बजट को दस गुना ज्यादा बढ़ाया जाए। शिक्षा होगी तो संपन्नता होगी, संपन्नता होगी तो स्वच्छता होगी। हाथ में झाड़ू देने से केवल एक मजदूर तो बनाया जा सकता है, लेकिन स्वावलंबी नहीं। एक जमाना था, जब बहुत से देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। आज

महिला सशक्तिकरण का दौर है, महिलाएं सामाजिक न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए हर क्षेत्र में संघर्ष कर रही हैं, लेकिन महिलाएं किस हद तक सुरक्षित हैं, यह हम सब जानते हैं। जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करने की। लेकिन महिला सशक्तिकरण का हरगिज़ यह तात्पर्य नहीं है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाएं। अभी हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री, जोकि महिला भी हैं, उन्होंने दिल्ली में एक सभा में जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, वह यकीनन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नहीं था और महिलाओं को शर्मसार करने वाला था। हमारे संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ इन शब्दों से होता है, "We, the people of India..." "हम भारत के लोग.." यह प्रस्तावना भारतवासियों के इन मजबूत इरादों को जाहिर करती है कि हम सब एक होकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां धर्म निरपेक्षता, न्याय और बंधुत्व होगा। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे आज़ाद हिन्दुस्तान की कल्पना की थी, जहां सामाजिक न्याय होगा, लेकिन क्या हम संविधान की इस भावना के साथ इंसाफ कर सके हैं?

आदर्श ग्राम योजना में मुझे गांव को करीब से देखने का अवसर मिला और उसे देखते ही सामाजिक न्याय की वास्तविकता का अंदाजा हो गया। पढ़ाई से वंचित बच्चे, कुपोषण की शिकार महिलाएँ और बच्चे, जिन्हें पीने के लिए साफ पानी तक मयस्सर नहीं था। हम यकीनन इस योजना का स्वागत करते, अगर सरकार अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में 100 दिन के लिए हिन्दुस्तान के हर गांव को गोद लेती और एक सुनहरा हिन्दुस्तान दिखाने का वायदा करती। काले धन की वापसी, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, पूरे देश को 24 घंटे बिजली, इस प्रकार एक ऐसे समाज की स्थापना होती, जिसमें कोई भी कमजोर और उपेक्षित नहीं होता तथा न्याय से वंचित नहीं रहता।

आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की सरकारों ने अगर गम्भीरता से सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर ध्यान दिया होता और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए होते, तो आज इतनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या नहीं करते, सदमे से उनकी मौतें नहीं होतीं। इसलिए माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि भूमि अधिग्रहण कानून के दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ऐसी सम्भावना है।

1976 में संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ, उसमें 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, लेकिन इसके साथ-ही-साथ कुछ कर्तव्य भी जोड़ दिए गए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करे। अभी पिछले दिनों एक सांसद महोदय ने यह बयान दिया था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लिया जाए। ऐसे वक्तव्य देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा करते हैं और ऐसी मानसिकता सामाजिक न्याय के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। हिन्दुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में तारीखी किरदार अदा किया और जिस आबादी के लिए महान न्यायविद् जस्टिस सच्चर ने लिखा है कि देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत दलितों से भी बदतर है, ऐसी हालत में सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले लोग मुसलमानों से वोट देने का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, क्या इसके बाद भारत अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कह पाएगा? ऐसे लोग सामाजिक न्याय के साथ, अपने देश के साथ और अपने संविधान निर्माताओं की भावना के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि हममें से कुछ

[डा. तज़ीन फातमा]

लोग सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करने के बजाय समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। धर्मांतरण, घर वापसी, गांधी जी को अंग्रेजों का दलाल कहना, आदि मानसिकताएँ सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधा उपस्थित कर रही हैं। हर धर्म और जाति में ऐसे समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है। देश को ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, जो युवा पीढ़ी को संस्कारशील बनाए तथा सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाए। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा वर्तमान सरकार से यह आग्रह है कि वह समाज में नफरत फैलाने वालों पर अंकुश लगाए तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हरसम्भव प्रयास करे, वरना यह खूबसूरत हिन्दुस्तान कमजोर हो जाएगा, जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था – "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा"।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : बहुत ही अच्छा। I am glad कि पूरे हाउस ने आपकी मेडन स्पीच बहुत pin drop silence से सुनी। श्री शरद यादव। आपके पास 7 मिनट हैं, अगर आप एकाध मिनट और लेंगे, तो चलेगा।

श्री शरद यादव (बिहार) **:** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस बहस में दो तीन लोगों ने आंकड़े दिए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हमें आजाद हुए लगभग 70 बरस होने वाले हैं, लेकिन आज भी हालात जस के तस है।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप जिस मंत्रालय को देख रहे हैं, उसके बारे में, उसकी बाबत बहुत से लोगों ने अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। देरेक जी ने भी बहुत अच्छी बातें कहीं, बाकी दूसरे लोगों ने भी अच्छी बातें कहीं। मिस्त्री जी तो चले गए हैं, इस सामाजिक विषमता के सवाल पर यही हालात हैं। मैं आपके माध्यम से इस बहस को थोड़ा जमीन पर दिखाना चाहता हूं। आज बाजार के मामले में हम दुनिया को बहुत पास-पास मानते हैं और बाजार माध्यम से सारी दुनिया बहुत करीब आ गई है। एक-दूसरे से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन सीखने की बात तो दूर है, यह देश कभी सुधरता भी नहीं है।

महोदय, आप अमरीका को देखिए। यहां पर अमरीका के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ था। मानें या मानें, लेकिन अमरीका दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, जो एक तरह से पूरी दुनिया का वली है। वहां यूरोप और अमरीका से गए हुए लोगों की एक ऐसी कौम है, जो वाइट कहलाते हैं। काले और गोरे लोगों के बीच वहां पर कितना संग्राम हुआ, लेकिन अंत में उसका नतीजा भी निकल आया और वहां जो वाइट हाउस नाम का राष्ट्रपति निवास है, उसमें एक ब्लैक को बैठा दिया गया। हमारे यहां जो सोशल डिस्पैरिटी है, उसके ऊपर तरुण विजय जी से लेकर अन्य सभी लोग जिस तरह से बोलते हैं, वह सिर्फ बोली ही बोली है, जो जमीन की तरफ कहीं भी सरकती नहीं है।

वहां अब्राहम लिंकन की शहादत होती है, अब्राहम लिंकन दुनिया के एक बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन एक झटके में उस ने व्यक्ति इंसाफ दिया और मौत ले ली। वहां जो वाइट लोग हैं, सफेद लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन जिस वाइट हाउस का नाम वाइट लोगों पर पड़ा था, उस वाइट हाउस में एक ब्लैक, बराक ओबामा को बैठा दिया गया। वे लोग भी बदल गए, लेकिन यह देश ऐसा है, जो हजारों बरसों में भी नहीं बदला।

हिन्दुस्तान की आजादी के बाद इस सदन में और उस सदन में इनके प्रति दया के कितने ही भाषण होते रहे हैं और कैसी-कैसी बातें हम लोग करते रहे हैं। क्या पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसी कौम होगी, जिसका मोहल्ला, चाहे गांव में हो या शहर में, अछूत का मोहल्ला कहलाता हो। आजकल यह बात कही जा रही है कि आप साथ खाना खा लो। क्या साथ खाना खा लेने से जाति मिट जाएगी?

हमारे यहां पर एक बहुत पुराने समाजवादी नेता थे। जब जयप्रकाश जी ने मुझे जेल से टिकट दिया था और मैं जेल से बाहर आया था, तो मैं उनके पास गया था। उन्होंने जयप्रकाश जी से कहा कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं? वे कह रहे थे कि सरनेम और जनेऊ को जला दो। उस समय मेरी उम्र भी कम थी और मैं उनकी बातें सुनता रहा, बहुत बड़े-बड़े लोग वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह बन्द करो, हिन्दुस्तान में सरनेम से जाति नहीं चलती है। जब से अंग्रेज आया है, तभी से सरनेम भी आया है, उससे पहले यहां पर सरनेम नहीं था। सब चीज़ें छिप सकती हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में यह दुष्ट जाति कभी नहीं छिप सकती।

हम पश्चिमी देशों की नकल करते हैं, इसलिए बाजार को हमने गले लगा लिया, लेकिन बाजार के साथ हमने ऐसा काम किया कि बाजार हमारे सिर पर बैठ गया। चीन बाजार के सिर पर बैठ गया, लेकिन हमारी हालत यह है कि बाजार हमारे सिर पर बैठ गया। मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन हालत यही है। एक बात जान लीजिए कि इस देश में 11 करोड़ आदिवासी हैं। उपसभाध्यक्ष जी, आप तो उन्हीं के इलाके के आस-पास के व्यक्ति हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): आप समय का भी ध्यान रखिए।

श्री शरद यादव: आप कहिए, तो मैं बैठ जाता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): अभी आप बोलिए।

श्री शरद यादव: सर, मुझे अफसोस है कि मैं वहां हार गया और यहां पहुँच गया हूँ। मेरी दिक्कत यह है कि अगर मैं विषय को घेरूँ नहीं, तो बात जमीन पर नहीं आती है। इसे जमीन पर लाना इसलिए जरूरी है कि कबीर, नानक, पेरियार, बसवन्ना, महात्मा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों ने इतनी चोटें मारी हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, जोकि हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था है, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा संग्राम हुए हैं, सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, तो वह एक ऐसी चीज़ है, जिसके जैसी अन्यायी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है, यह मिटती नहीं है। इसमें किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे भारत खंड-खंड है।

श्रीमन्, अगर मैं हिन्दुस्तान के इतिहास का सच बोलने लगूँ, तो लोग यहां मारने खड़े हो जायेंगे, जो ऐसी संस्कृति के हैं, झूठी संस्कृति के वाहक हैं। इतिहास में एक बार चन्द्रगुप्त मौर्य ने किसी हमलावर को रोका था। बाकी तो हिन्दुस्तान में एक हमलावर नहीं हैं, गजनी को गाली देते हैं, गौरी को गाली देते हैं। यह देश किसी एक तरह के लोगों का नहीं है। यह रंगीन लोगों का देश है, यहां कई तरह के रंगों के लोग हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कौन बाहर से आया या कौन भीतर से आया।

[श्री शरद यादव]

यह मतलब मत लगा लेना। मैं अकबर को अपना पुरखा मानता हूँ, अशोक के बाद वैसा ही वह एक आदमी था, लेकिन इसको मत मान लेना। मैं कह रहा हूँ कि कोई युद्ध या कोई संग्राम आप नहीं जीते, इसलिए कि आपने तो जाति बना दी कि यह फलां बहादुर जाति है, यही युद्ध लड़ेगी और दूसरी जो अन्य जातियां हैं, वे— यानी, जिसकी आबादी दो फीसदी है, उसमें से एक फीसदी निकाल दो, आधा निकाल दो, क्योंकि महिलाएँ भी हैं और उसके तीन हिस्से करो, तो one-third है। तब कैसे यह देश जीत सकता है? पाकिस्तान से तो हमारी बांहें बहुत जल्दी फड़कती हैं, यानी अखबार, मीडिया सब की। अभी मैं आ रहा था, तो एक आदमी जो मुम्बई से भाग गया था, दाउद के बारे में 20-25 साल से लगातार 24 घंटे उसको पता नहीं क्यों दिखाते हैं, जैसे नींद ही नहीं आ सकती। सरकार भी बोलती है और सब लोग भी बोलते हैं। ...(**समय की घंटी**)... मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि युद्ध पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के लिए जितनी जल्दी हमारा, वहां भी और यहां भी, हमने इतना — आज सवेरे एक क्वेश्चन चल रहा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार लाने वाला और सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन है। आपने ठीक बात कही कि यहां ये जो हथियार बना रहे हो, ये तो काम के ही नहीं हैं, इनको फेंक दो। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार चीन के साथ थोड़ी-सी छेड़खानी कर दी और तब हमारे यहां जो प्रधान मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इनको निकाल कर बाहर करो। हमारा जनरल भाग रहा है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है, वह भी, और गाना गाया जा रहा है- 'आँख में भर लो पानी'। ...(**समय की घंटी**)... मैं मानता हूँ कि हार से अफसोस होना चाहिए, लेकिन हार के साथ रंज और अंदर में एक ताकत भी होनी चाहिए कि हमारा अपमान हो गया है। इस अपमान का कारण जरूर खोजना चाहिए। सारे देश ने एक बार थोड़ा सा धक्का लगाया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर): आप समय का भी ध्यान रखिए।

श्री शरद यादवः सर, यदि वे इस बहस में समय लगा देंगे, तो मैं तो सब काम छोड़ कर इसके लिए आया था। मैं आपको साथ में एक बात कह देता हूँ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह बात कह रहा हूँ। आपने एक तरह से रिजर्वेशन का जो एक झुनझुना पकड़ाया हुआ है, इसकी हालत मैं बताता हूँ। आप तो मंत्री हैं, आप इसे कभी ठीक से देखिएगा। ...(**समय की घंटी**)... आपका डीओपीटी ग्रुप 'ए', ग्रुप 'बी', ग्रुप 'सी' के बारे में कहता है कि ग्रुप 'ए' में शैड्यूल्ड कास्ट्स का 11.6 परसेंट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का 4.5 परसेंट और बैकवर्ड क्लासेज़ का representation 8.4 per cent out of 27 per cent है। अब मैं ग्रुप 'बी' का बताता हूँ, हिन्दुस्तान की जो सबसे बड़ी आबादी है, वह बैकवर्ड क्लासेज़ की है, उसको आपने रिजर्वेशन दिया और आधा दिया, उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया और फिर कैंची लेकर ये सारा कास्ट सिस्टम लगा रहता है कि कैसे इसको काटें, कैसे कुचलें। यह इस देश की जो संस्कृति है, मैं सच कहूं, तरुण विजय चले गए, यह इस देश की संस्कृति है कि ऊपर जबड़ा है तो चाट लो और जो छोटा है, उसको काट खाओ। ...(**समय की घंटी**)... चाटो और काटो, ग्रुप 'बी' में यह हालत है। 6.1 परसेंट ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): धन्यवाद।

श्री शरद यादवः उपसभाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ। यह जो बहस चलती है ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): आप इतने सीनियर हैं कि मैं ज्यादा घंटी भी नहीं बजा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है।

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, कल तक बहस चलेगी, इसलिए इनको थोड़ा बोलने दीजिए।

श्रीमती जया बच्चनः सर, हमारा समय इनको दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): ऐसा होता नहीं है, मैडम।

श्री शरद यादवः उस सदन में ऐसा होता था।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): आप दो मिनट और ले लीजिए।

श्री शरद यादवः सर, दो मिनट तो नहीं, मैं आपसे पांच मिनट चाहता हूँ, इसलिए कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जिनके बारे में मैं बोल देना चाहता हूँ, जैसे मां, बहन, बेटी है ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): आपका बहुत बढ़िया भाषण है।

श्री शरद यादवः ऐसा अन्याय मां, बहन, बेटी के साथ हिन्दुस्तान की कास्ट सिस्टम ने, जाति व्यवस्था ने किया है कि आप कितने ही कानून बना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जो देश मां, बहन, बेटी को कैदखाने में डालता है, यह जाति व्यवस्था मां, बहन, बेटी को एक बड़े कैदखाने में डालती है, जो दिखता भी नहीं है, लेकिन वह सदियों से बंद है। वह उसमें सदियों से बंद है और आप सोचते हैं कि हिन्दुस्तान की मां, बहन, बेटी की इज्जत हो जाए। आपने जाति व्यवस्था बना कर रखी है, जात की चक्की जब चलती है, तो वह मां, बहन, बेटी के पाट के साथ चलती है। यहां एक से एक बहस होती है, मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं कि इस बात पर वक्त की पाबंदी लगाई जाती है तीन दिन या चार दिन की। How to eradicate the caste system? भारत के संपूर्ण विकास की राह और रास्ता इसीलिए रुका हुआ है। अभी यह नई सरकार आई है, मैं कह दूं कि आप कितने ही उपाय कर लीजिए, लेकिन यह देश नहीं सरकेगा। यह हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था, अन्याय, जुल्म, हर तरह की जाति पर बनी हुई इतनी खराब व्यवस्था रंगभेद की भी नहीं है, इतनी ज्यादा दुष्ट और अमानवीय, इतनी विकट परिस्थिति इस जाति व्यवस्था के चलते है कि आप कितने ही काम कर लीजिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यहां पर बहस हो जाए ...(**व्यवधान**)... ऐसा क्यों होता है? भाई, आपने किया है, मां को गुलाम किया, उसने घर बना दिया यानी यहां हर घर भारत है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, लेकिन यह कभी भी जमीन पर नहीं आएगा। जो लोग हाथ से काम नहीं करते हैं, वे ऊंचे हैं और जो काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, वे छोटे हैं। जो लोग काम करते हैं, उनमें साहस है और जो काम नहीं करते हैं, उनमें स्वाभिमान है। हिन्दुस्तान में इंसान की वृत्ति खंडित हो गई है। स्वाभिमान और साहस, दोनों आदमी में होने चाहिए, तभी समाज का पुरुषार्थ बनता है, लेकिन यहां तो आपने इस तरह की विकट परिस्थिति पैदा कर दी है। आप सामाजिक न्याय का मंत्रालय एक दलित को दे देंगे — आप यह ठोक कर नहीं कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का कोटा पूरा कीजिए, यह आप नहीं कह सकते हैं। आप रिजर्वेशन के अंतर्गत एक के बाद एक जाति को ला रहे हैं, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। ...(**समय की घंटी**)... इसको आप नहीं रोक सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शरद यादव: आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Thank you, Sir. I thank hon. Amma. As for the social justice and empowerment in our nation, I humbly submit that hon. Amma is saviour of social justice, champion of social justice and I would like to draw the kind attention of this august House to the enactment passed by hon. Amma. The name of the Act is the Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Seats in Educational Institutions and of Appointment or Posts in the Services under the State) Act, 1993 as Act No. 45 of 1994 passed on 19th July, 1994. As per the provisions of this Act, 69 per cent reservation has been enforced in the State of Tamil Nadu. The Supreme Court passed a judgement stating that the ceiling limit of reservation is not more than 50 per cent. The careful reading of the Supreme Court judgement very clearly says that wherever the representation of a particular community is inadequate, it is the discretion vested with the State Government to bring in a law even to the extent of hundred per cent reservation of that community for the cadre or service. Hon. Amma has fully understood the law laid down by the Supreme Court. She has successfully enacted this law. This Act was included in the Ninth Schedule of the Constitution. It was effectively enforced. I humbly submit that this is a model law for the whole of India.

You passed the National Judicial Appointments Commission Bill and the Constitution Amendment Bill. But now it is being challenged in the Supreme Court.

There are many lawyers who hail from very poor economical background. There are many lawyers who belong to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other backward classes. These lawyers now become judges in the subordinate judiciary and then get elevated to the High Court. This Act is a classic example of how to promote poor people. In the judiciary, to get elevated as a High Court Judge is not something to be even imagined by a poor lawyer because there are many obstacles. He must have the clients. He must have sufficient expertise. And his expertise should have been noticed and recognised by the Collegium. But because of this enactment, without these kinds of troubles, a lawyer, who is practising in a lower court, can easily get the appointment as a District Munsif and can be promoted as a subordinate Judge and then become a District Judge and can ultimately be elevated to the High court and then the Supreme Court. Many such judges are adorning the High Court Benches. I came to know from the speech of my learned brother, the former Advocate-General of Uttar Pradesh, that not even one Scheduled Caste member is now holding the post in the Allahabad High Court. It is most disheartening. Now many lawyers are occupying

the post of High Court Judges because of this enactment. Why I am submitting this before the august House is because this law can be treated as a model law. This law can be enacted by all the State Governments. The Central Government can enact a similar law for the Central Government posts because it stood the scrutiny of court and it was included in the Ninth Schedule and the Supreme Court upheld it. Depending upon the quantifiable data, the Government can take the decision. On the basis of the recommendations of the Backward Classes Commission, the reservation is now in force in Tamil Nadu. All credit goes to hon. Amma. She is the visionary leader. She is for social justice. Except her, no other leader in India empowered the poor people. There is one more thing which I would like to make very clear. Veterans like Mr. Sharad Yadav and Mr. D. Raja are also here. In conclusion, I may be permitted to quote Article 15(3). Article 15(3) says, "Nothing in this Article shall prevent the State from making any special provision for women and children". In reservation, with regard to appointments, hon. Amma has brought in empowerment for the women because 69 per cent reservation is vertical. Horizontal reservation of 30 per cent is given to women. So, in all posts, women are being appointed because of this horizontal reservation policy which is enforced in the State of Tamil Nadu. That is also innovated by hon. Amma. All-women police station is a very novel concept which has been brought in and implemented by hon. Amma. Then, there is, the cradle baby scheme. Suppose a child is left in the street corners. He will be taken care of without any questions. The Tamil Nadu Government is taking care of many children. We cannot question it. For various circumstances, babies are left in streets, temples or anywhere in the State of Tamil Nadu. They are taken care of. That is one of the innovations and the novel schemes implemented by hon. Amma. My brother, Mr. Derek O'Brien, referred to manual scavenging. I would like to humbly submit in this august House that the State of Tamil Nadu, that too by hon. Amma, is the first State to notify section 7 of Prohibition on Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. The notification was issued by hon. Amma with effect from March 15, 2015. ...(*Interruptions*)... Yes, it is under her able guidance. ...(*Interruptions*)... I need not say anything. Everybody knows about it. But, we must have large-heartedness to admit it. She is the only leader working for the upliftment and empowerment of the poor. I thank the Chair. Thank you, Sir.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बोलने के लिए अधिकृत किया, इस कारण मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, परम पूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने लिए

[श्री वीर सिंह]

भारतीय संविधान की रचना की थी। उन्होंने देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तथा सामाजिक शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नौकरियों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए संविधान में बहुत से उपबंध किए थे। परन्तु डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान की रचना करते समय चिंता व्यक्त की थी कि जब तक शासन और सरकार चलाने वालों की नीयत साफ नहीं होगी, तब तक संविधान का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। आज जब हम बाबा साहेब की उस आशंका का विश्लेषण करते हैं तो यह बात बिल्कुल साबित होती है। आज देश को आजाद हुए 67 साल हो गए, 67 साल की आजादी के बाद अभी तक भारतीय संविधान के तहत इस देश में रहने वाले गरीबों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, वह अधिकार नहीं मिला, क्योंकि आज तक जो भी सरकारें रहीं, और जिन पार्टियों की भी सरकारें रहीं, चाहे यू0पी0ए0 की रही हो या एन0डी0ए0 की रही हो उन सरकार चलाने वाली पार्टियों की नीयत साफ नहीं रही। जो भारतीय संविधान में परम पूज्य डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिए थे वे 67 साल की आजादी के बाद आज तक भी नहीं मिले हैं। आज पूरा देश और सदन भी जानता है कि आजादी के 67 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ0बी0सी0 के लोगों को बड़े पैमाने पर उनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है।महोदय, हरियाणा का मिर्चीपुर कांड, पंजाब का तरन तारण कांड, मोगा बस कांड और महाराष्ट्र का खैरलांजी कांड, इसके उदाहरण हैं। महोदय, इससे भी ज्यादा बड़े घृणित कांड अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों के साथ होते हैं। इन्हें रोकने के लिए तमाम कानून बनते चले गए, उनमें संशोधन भी होते चले गए, किंतु उन पर अमल नहीं हुआ है।

महोदय, परम पूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयासों के बाद अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को जहां पदोन्नति में आरक्षण मिलता था, उसे भी धीरे-धीरे न्यायालय का सहारा लेकर समाप्त किया जा रहा है। जब इस की चिंता हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हुई, तो उन्होंने पिछले साल, केन्द्र में यूपीए की सरकार के समय अनुसूचित जाति व जन-जाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहे, इस के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में सदन के पटल पर रखा। महोदय, बड़ी जद्दोजहद के बाद इस विधेयक पर चर्चा हुई और बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती के प्रयासों से यूपीए की सरकार में इस विधेयक को यहां पास किया गया, किंतु यह विधेयक अभी तक लोक सभा में pending है। महोदय, इस के साथ-साथ Special Component Plan के बारे में केन्द्र सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकारों को सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए पैसा दिया जाता है। पहले तो आवश्यकता के अनुसार पैसा नहीं दिया जाता, किंतु केन्द्र से प्रदेश सरकारों को जो भी पैसा भेजा जाता है, वह समय पर खर्च नहीं किया जाता और प्रदेश सरकारें उसे उन्हें गरीबों के उत्थान पर खर्च न कर के अन्य मदों पर खर्च कर देती हैं। इस बारे में हमारी पार्टी ने कई बार सदन में और सदन के बाहर आवाज उठायी है कि **...(समय की घंटी)** ...वह पैसा गरीबों के हित में लगना चाहिए।

महोदय, मैं यहां गरीब व दलित वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में भी उल्लेख करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जन-जाति के छात्रों को जो पैसा भेजा जाता है, वह पैसा उन्हें जहां प्रवेश से पहले दिया जाना चाहिए, वह नहीं मिल पाता जिस कारण वे गरीब बच्चे पैसे के अभाव में विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते और वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस तरह उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है।

महोदय, आज तक इन वर्गों का आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। देश को आजाद हुए 67 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी विभाग में अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों का कोटा पूरा नहीं है। यहां तक कि उसका बैकलॉग भी किसी भी प्रदेश में किसी भी विभाग में पूरा नहीं हुआ है। महोदय, जिस पार्टी के नेताओं की नीयत साफ होती है, वह इन वर्गों पर ध्यान देते हैं। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने विशेष अभियान चलाकर सरकारी विभागों में जहां बैकलॉग था, उसे पूरा किया। महोदय, पूरे देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश है, जहां सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति, जन-जाति व पिछड़ी जाति के सरकारी कर्मचारियों का बैकलॉग पूरा किया गया है, बाकी किसी भी देश में इसका बैकलॉग पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ-साथ हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति, जन-जाति का कोई जज नहीं है।इस बारे में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी ने विधि और न्याय मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा करते हुए सारी बात कही थी, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। अभी हमारे दूसरे सम्मानित साथी बोल रहे थे, उन्होंने भी इसके बारे में काफी कहा है। एक तरफ तो आप हमें न्याय देना चाहते हैं, जैसा अभी तरुण जी बोल रहे थे। कहने में और करने में बहुत अंतर है। इसलिए थोड़ा सा आप इसको इंप्लीमेंट करके दिखाइए, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। आप हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति, जनजाति से जजों की नियुक्ति करिए। ...(**समय की घंटी**)... क्योंकि जब जजमेंट लिखा जाता है, जब कोई जज जजमेंट लिखता है तो उसके मन में एक जातिगत भावना होती है। उसी के आधार पर इस देश के गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। गरीब लोगों को जजों के पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है, तो उनको ठीक प्रकार से न्याय भी नहीं मिल रहा है।

महोदय, तरुण जी स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे थे। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। अभी तरुण जी कह रहे थे कि वाल्मीकि समाज के लोग जो यह सफाई का काम करते हैं, उनको सरकारी विभागों में नौकरी दे देनी चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... यह बहुत अच्छी बात है, किन्तु स्वच्छ भारत अभियान कहने से नहीं होगा, पूरे देश की सफाई कहने से नहीं होगी। इसके लिए जब तक केन्द्र सरकार पूरे देश की महानगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को और दूसरी पंचायतों को सुविधानुसार फंड मुहैया नहीं कराएगी, आप उनको ऐसे साधन सफाई के लिए मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक स्वच्छ भारत अभियान सफल नहीं होगा। खाली झाड़ू पकड़ने से भारत स्वच्छ नहीं हो सकता। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सिर पर मैला ढोने का विरोध किया था। ...(**समय की घंटी**)... एक तरफ आप सफाई की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने कहा था कि मैं अपने देश के गरीब समाज के बच्चों के हाथों में झाड़ू नहीं पकड़ाऊंगा, मैं अपने देश के बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाऊंगा, क्योंकि झाड़ू से गली-कूचों का कचरा साफ होता है और कलम से दिमाग का कचरा साफ होता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): आपका हो गया, खत्म कीजिए।

श्री वीर सिंह: यह आपकी मानसिकता कैसी है कि आज भी आप 60 साल पुरानी बात को दोहरा रहे हैं कि गरीब के हाथ में झाड़ू होनी चाहिए। नहीं, गरीब के हाथ में कलम होनी चाहिए। यह बात डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने कही थी। ...(**समय की घंटी**)...

महोदय, मैं आपको आवास के बारे में बताना चाहता हूँ। आज आवास के लिए गरीब कितना

[श्री वीर सिंह]

परेशान है। आप गांवों में जाकर दृश्य देखिए। आप तो शहर की बात करते हैं। आज शहरों में भी और गांवों में भी महिलाएं मजबूर हैं, उनको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। अभी तक भी उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं हुई है। आज आजादी के 67 साल हो गए, तमाम कानून बनते हैं, चाहे इनकी सरकार हो या आपकी सरकार हो, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, जैसा शरद जी कह रहे थे, हमेशा शेड्युल्ड कास्ट के व्यक्ति को मिलता है, किन्तु उस एस.सी. के व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है कि अपनी सरकार के मुखिया के सामने गरीबों के लिए कोई अच्छी योजना बनाए। ...**(समय की घंटी)**... पंगु बनकर रह जाता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): थैंक यू। सतीश जी, आप भी देख लिया करो। आप उनकी तरफ देख लें।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: खत्म करो, वीर सिंह जी।

श्री वीर सिंह: सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जुल्म-ज्यादती से बचने के लिए, अपनी रोजी-रोटी के लिए तमाम लाखों लोग शहरों में आकर बसे हैं। वे बेचारे मजबूरी में गंदे नालों के किनारे पर, रेलवे लाइन्स के किनारों पर आकर, झोपड़-झुग्गी बनाकर बस गए। उनके लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। बहन माया जी ने उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम आवास योजना बनाकर गरीबों को देने का काम किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): थैंक यू, हो गया।

श्री वीर सिंह: सर, मैं सरकार से, माननीय मंत्री से चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। जो आज तक 67 साल में पूरा नहीं हुआ है, गरीब लोगों के लिए जो संविधान में अधिकार हैं, उनको दिलवाने का आपके पास अच्छा मौका है, उन्हें दिलवाएं। आज आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आप इस ओर ध्यान देंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, our Party, the CPI(M), demands reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the private sector and a legislation to prevent discrimination in the allocation of resources for these sections of the society.

The Union Budget, 2015-16, with an estimated size of ₹ 17,77,477 crores, that is, 12.6 per cent of the GDP, is ₹ 96,319 crores more than the Revised Estimates of 2014-15. But, relative to the size of the Indian economy, the magnitude of the Union Budget spending has seen a continuous decline since a peak of 15.9 per cent of the GDP in 2009-10. The Union Budget 2014-15 has violated the guidelines to allocate Plan resources for the Tribal Sub-Plan and the Scheduled Caste Sub-Plan (SCSP) at least in proportion to the ST and SC populations at 8.6 per cent and 16.6 per cent respectively. Instead the allocations are 7.8 per cent for SCSP (down from 10.3 per

cent) and 5.1 per cent for TSP (down from 6.4 per cent), respectively. In rupee terms the fall in TSP is from ₹ 26,715 crores to ₹ 20,536 crores and in SCSP from ₹ 43,208 crores to ₹ 30,851 crores. There should be extension of constitutional requirement of reservation to all sectors of employment, as a large area of employment is out of the purview of reservation.

In our State Tripura, the Left Front Government has planned to cover the budgetary deficit of ₹ 1.89 billion by compressing non-development expenditure, stepping up of resource mobilisation, better tax enforcement and effecting austerity measures.

In the liberal framework with ban on recruitment, with outsourcing, with contractualisation, etc. in the Central Government and the public sector undertakings, the constitutional requirement for reservations has been subverted.

The Central Government has further cut allocations for the Scheduled Caste Special Component Plan, and the shortfall is as high as ₹ 46,385 crores. The shortfall in allocation for the Tribal Sub-Plan is an equally shocking figure, that is, ₹ 20,000 crores. Thus, while the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as a proportion of the total population is around 25 per cent, the share of allocation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, which was at an all-time low this year, was just 10 per cent.

These include the recommendations made by the Sachar Committee and the Ranganath Mishra Commission, and, more recently, the recommendations of the Evaluation Committee headed by Prof. Amitabh Kundu. It said that the recommendations of the Kundu Committee and the Ranganath Mishra Commission, including on the issue of reservations for minority communities, should be accepted and implemented.

We also condemned the attacks on minorities. Absolutely outrageous statements like the demand for an end to voting rights of Muslims are leading to even more insecurity. In the 2015-16 Budget, the allocation for development projects for minority communities constitutes an abysmal 0.23 per cent of the total allocations. This paltry amount makes a mockery of the democratic requirement that urgent steps be taken to address the serious problems of the Muslim minority that were exposed by the Sachar Committee. Sir, new schemes should be mentioned for senior citizens also. As per Census 2011, the total non-workers population is 46 per cent of the total population of persons with disabilities.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

[Shrimati Jharna Das Baidya]

It is observed that even among the population of workers with disabilities, 58 per cent work as cultivation workers, agricultural labourers and in household industries, who are unlikely to earn more than ₹ 2.5 lakhs per year. ...*(Time-bell)*... सर, मैं इसके साथ यह बोलना चाहती हूं कि सेंटर से जो पैसा स्टेट्स को जाता है, तो जो Ministry of Social Welfare and Empowerment है, यह इसकी रिपोर्ट है, इसमें हमने देखा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में क्या हो रहा है? पूरा का पूरा, करोड़ों रुपया divert करके state highway बना लिया, एयरक्राफ्ट्स खरीदे और गुजरात में Swami Vivekananda's 150th Birth Anniversary में 5 करोड़ रुपए टीएसपी सब-प्लान से divert करके उन लोगों ने खर्च कर दिए। यह क्या है? कैसे डेवलपमेंट होगा? इतने सारे दलित और आदिवासी लोग हैं, 16.6 परसेंट और 8.6 परसेंट हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसे जाते हैं... ये बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल देश में लागू होगा, तो अच्छा है। हम लोगों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह क्या है? हमारे पास आंकड़े हैं कि कितना सारा रुपया divert हुआ है! आप देखिए, in the year 2012-13, ₹ 37.02 crores were diverted to Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission for infrastructure and governance; ₹ 115 crores were diverted as Grant-in-Aid to corporations under Swarnim Jayanti Mukhya Mantri Shaheri Vikas Yojana; ₹ 124.27 crores were diverted as assistance to municipalities for making Model Towns...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Baidyaji, your time is over.

श्रीमती झरना दास बैद्य : सर, यह क्या है? यह हाउस के सामने आना चाहिए, सबके सामने यह रखना चाहिए, सबको यह जानना चाहिए कि क्या हो रहा है? झारखंड में क्या किया? टीएसपी फंड से divert करके एयरक्राफ्ट्स खरीदे, to purchase two aeroplanes – VIP version, one trainer aircraft and one motor glider – and infrastructural development of Jharkhand Flying Institute at Hazaribagh. यह क्या है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में Sinhastha Mela, उज्जैन कुंभ मेले के लिए 25 करोड़ divert करके खर्च किए। ...**(समय की घंटी)**... 25 करोड़! गुजरात में ...**(समय की घंटी)**...गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के लिए 200 करोड़ रुपए टीएसपी प्लान से divert करके खर्च किए। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now you conclude.

श्रीमती झरना दास बैद्य : सर, एससी/एसटी के बारे में जब तरुण विजय जी बोल रहे थे, तो मैं उनको बहुत minutely सुन रही थी। बहुत ध्यान देकर सुन रही थी। अब यह रिकॉर्ड हमारे पास है, यह मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड है, यह हमारी बात नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूं, तो ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही कट कर दिया, इन लोगों के लिए एलोकेशन कम कर दिया। इसके बाद राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कौन राज कर रहा है, मध्य प्रदेश में कौन राज कर रहा है, गुजरात में कौन राज कर रहा है? ईस्टर्न राज्यों में कौन राज कर रहा है? क्यों इतना सारा रुपया डायवर्ट किया गया? उन लोगों को क्या मिला? इसलिए आज झारखंड में माओवादी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। जो रिकार्ड है, उसे मैंने हाउस के सामने रखा है। मैं मानती हूं कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करेगी और मिनिस्टर साहब के पास इसका उत्तर भी होगा, ऐसा मैं मानती हूं।

SHRI DEREK O BRIEN: Sir, there are 16 speakers left. So it is now 6 o' clock. Sir, 16 speakers are left. The discussion is going on very well. The Minister has also been sitting here from 3.30 p.m. So, tomorrow we will start from 2 o' clock. But you can take the sense of the House.

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, यह बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, जिस पर चर्चा हो रही है। इसलिए इस पर कल आराम से चर्चा चलने दीजिए। इतनी कम अटेंडेंस और थके हुए लोगों के बीच यह ठीक नहीं लगता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि कल इस पर चर्चा जारी की जाए।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : सर, पूरे हाउस का सेंस ले लें और इसे कल सुबह करें।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, we will continue with the discussion tomorrow.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, we will meet tomorrow.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Sir, it depends on the sense of the House. जो सेंस ऑफ दि हाउस होगा, उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन अभी इस पर 16 माननीय सदस्य बोलने के लिए रह गए हैं। अगर सब लोग सहमत होते हैं तो आज हम 7 बजे तक डिस्कशन कर लेते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; let me make one point. I have no problem. It is the decision of the House. I have to go by that. I have to make one point here. There are 16 names. If we can sit for one hour, we can at least...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : सर, यह ऐसा टॉपिक है, जिस पर सबको मौजूद रहना चाहिए। 6 बज गए हैं और मंत्री जी को भी जाना है। चूंकि माननीय मंत्री जी भी जाना चाहते हैं इसलिए उनके बगैर तो वैसे भी चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए आप इसे कल के लिए रख लीजिए।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आप मंत्री जी का नाम मत लीजिए। माननीय मंत्री जी तो रात को 1 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं। वे रात को 12 बजे तक बैठेंगे, लेकिन अगर सेंस ऑफ दि हाउस है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Tomorrow we have a lot of business. I don't know what will we do tomorrow.

SHRI DEREK O BRIEN: Sir, there is only this discussion and there is one Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not one Bill. Today we have allotted...

SHRI DEREK O BRIEN: Sir, we are very cooperative. We will finish the discussion. They want to bring the Land Boundary Agreement Bill, I think. So they can bring it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; there are two more Bills.

SHRI DEREK O BRIEN: Sir, the Opposition is always cooperative. But don't push us!

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : हम लोग जो कर रहे हैं, नक़वी साहब की तरफ से कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी की तरफ से कर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों से कहा था और हम लोग वही कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That means tomorrow we will sit late, if necessary, and see that the Bills are passed and the other Business is completed. I extend the time for a few more minutes for Special Mentions. चूंकि स्पेशल मेंशंस डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुए, इसलिए आज के स्पेशल मेंशंस भी कल हो जाएंगे। The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 6th May, 2015.